

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 622]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2020 — अग्रहायण 16, शक 1942

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 5 दिसम्बर 2020

सूचना

क्रमांक एफ 7-20/2019/32.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, संचालक, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत बीजापुर विकास योजना, 2031 का अनुमोदन करती है। बीजापुर विकास योजना, 2031 उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है।

2. बीजापुर विकास योजना, 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :-

1. कलेक्टर, जिला-बीजापुर, छ.ग.
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर (छ.ग.)
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् बीजापुर, जिला-बीजापुर (छ.ग.)

3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से बीजापुर विकास योजना, 2031 प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 5 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 7-20/2019/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुशरण में बीजापुर विकास योजना, 2031 इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 05-12-2020 का हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 5th December 2020

NOTICE

No.F 7-20/2019/32.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby accord approval to the Bijapur Development Plan, 2031 submitted by Directorate under sub section (3) of section 18 of said Adhiniyam. Bijapur Development Plan, 2031 is being published in "Chhattisgarh Rajpatra" for as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

2. The copy of the approved Bijapur Development Plan, 2031 shall be available during office hours for inspection in the following offices :-

1. Collector, Bijapur (C.G.)
2. Deputy Director, Town & country Planning, Regional Office Jagdalpur (C.G.)
3. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Bijapur (C.G.)

3. The Bijapur Development Plan, 2031 shall come into operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub- section (5) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. TIRKEY, Deputy Secretary.